

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं०
18/प्रा०पत्र/2019

तारीख दायर
13.03.2019

तारीख फैसल
03.12.2021

मंगीलाल आ० भवानीशंकर जाति धाकड़ निवासी गुडला तहसील के०पाटन जिला बून्दी (राज०) (मृतक के कायम मुकामान)

- 1/1 दुर्गालाल आ० मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी गुडला तहसील के०पाटन जिला बून्दी (राज०)
- 1/2 जानकी लाल आ० मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी गुडला तहसील के०पाटन जिला बून्दी
- 1/3 राधेश्याम आ० मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी गुडला तहसील के०पाटन जिला बून्दी
- 1/4 सालिगराम आ० मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी गुडला तहसील के०पाटन जिला बून्दी
- 1/5 श्रीमती कौशल्या पुत्री मांगीलाल पत्नि श्री रामप्रसाद जाति धाकड़ निवासी सीतापुरा तह० तालेड़ा
- 1/6 श्रीमती बंदीबाई पुत्री मांगीलाल पत्नि रामेश्वर जाति धाकड़ निवासी श्रीपुरा तह० के०पाटन

.....प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार तालेड़ा जिला बून्दी (राज०)

.....अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ताप्रार्थी:- श्री राजकुमार गौतम


अधिवक्ता अप्रार्थीग:- पेरोकार सरकार

- :: निर्णय :: -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 136 भू-राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:-

- 1 यह कि भूमि खसरा संख्या 1238 रकबा 17 बिस्वा ग्राम गामछ पटवार क्षेत्र गामछ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में विस्थित है, जो कि वर्तमान जमाबंदी में मांगी लाल आत्मज भवनी शंकर जाति ब्राहमण निवासी गुडला खातेदार दर्ज है।
- 2 यह कि भूमि खसरा संख्या 1238 का केचमेंट से पूर्व खसरा संख्या 219 रकबा 10 बिस्वा नया खसरा संख्या 714 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा में से कटोती 12 बिस्वा शेष 8 बीघा 11 बिस्वा ग्राम गुडला में दी गयी है तथा शेष 17 बिस्वा ग्राम गामछ में दी गई, जिसका वर्तमान खसरा संख्या 1238 बने है।
- 3 यह कि भूमि खसरा संख्या 714 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा खातेदार जमाबंदी में प्रार्थी मांगी लाल आत्मज भवानी शंकर कोम धाकड़ दर्ज हो रहा है परंतु कटोती के बाद ग्राम गामछ में दी गई भूमि खसरा संख्या 1238 रकबा 17 बिस्वा के खातेदार राजस्व कर्मचारियों की गलती से मांगी लाल आत्मज भवानी शंकर जाति धाकड़ के स्थान पर जाति ब्राहमण दर्ज कर दिया गया है, जबकि मांगीलाल आ० भवानीशंकर जाति ब्राहमण नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम गुडला में नहीं रहता है।
- 4 यह कि खाते में प्रार्थी की जाति ब्राहमण दर्ज होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण प्राप्त करने एवं अन्य कृषि संबंधित कार्य करने में परेशानी हो रहा है प्रार्थी को उक्त त्रुटि की जानकारी दिनांक 22-1-2019 को हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर प्राप्त हुई इससे पहले प्रार्थी को उक्त त्रुटि की कोई जानकारी नहीं थी।
- 5 यह कि प्रार्थी को राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गयी गलती को सही करवाने का अधिकार प्राप्त है।


उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

यह कि प्रार्थी द्वारा श्री मान तहसीलदार साहब तालेडा को भी उक्त त्रुटि को सही करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अतः प्रार्थना है कि ग्राम गामछ की भूमि खसरा संख्या 1238 रकबा 17 बिस्वा के खातेदार प्रार्थी की जाति ब्राहमण के स्थान पर धाकड़ दर्ज करने का आदेश प्रदान करे। अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। जवाब परोकार सरकार ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि जमाबन्दी नकल सं० 2030-33 ग्राम गुडला के खाता सं० 29 में ख०सं० 219 रकबा 10 बीघा भूमि खातेदार मांगीलाल वल्द भवानीशंकर कौम धाकड़ के नाम खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है। केचमेन्ट के बाद सं०सं० 219 के कटौती उपरान्त गुडला ब्लाक में ख०सं० 714 रकबा 8.11 बीघा 0.12 कटौती एवं ग्राम गामछ में खसरा नं० 1238 रकबा 0.17 बिस्वा बना है। वक्त केचमेन्ट वादी की जाति ग्राम गुडला में जाति धाकड़ अंकित की गई जबकि ग्राम गामछ में ख०सं० 1238 रकबा 0.17 में जाति धाकड़ के स्थान पर ब्राहमण अंकित कर दी गई थी। अतः प्रार्थी की जाति सही करने प्रार्थना पत्र स्वीकार है। प्रार्थी मांगीलाल पिता भवानीशंकर कौम धाकड़ सा० गुडला की भूमि ग्राम गामछ के खसरा नं० 1238 रकबा 0.17 बिस्वा में दर्ज जाति ब्राहमण के स्थान पर जाति धाकड़ किया जाना स्वीकार है। जवाब परोकार सरकार स्वीकार फरमाया जावे।

साक्ष्य में प्रार्थी की और नकल जमाबन्दी खाता सं० 304 ग्राम गामछ संवत् 2071-74 प्रदर्श-1, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम गामछ प्रदर्श-2, आंवटन सूचि केचमेन्ट ब्लाक विजयनगर तहसील के०पाटन जिला बून्दी वर्ष 1980-81 प्रदर्श-3, 4 व 6, नकल जमाबन्दी खाता सं० 113 ग्राम गुडला संवत् 2047-50 प्रदर्श-5, ग्राम पंचायत गुडली का प्रमाण पत्र दिनांक 6.2.2019 प्रदर्श-7, नकल जमाबन्दी खाता सं० 29 ग्राम गुडला संवत् 2030-33 प्रदर्श-8, दैनिक अंगद समाचार पत्र नोटिस प्रकाशन दिनांक 09.12.2019 प्रदर्श-9 की प्रतियाँ पेश की।

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान के तहत कैम्प स्थल गामछ में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजता एवं जवाब परोकार सरकार का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि नकल जमाबन्दी सं० 2030-33 ग्राम गुडला के खाता सं० 29 में खसरा नं० 219 रकबा 10 बीघा भूमि के खातेदार मांगीलाल वल्द भवानीशंकर कौम धाकड़ के नाम खातेदार में दर्ज रिकार्ड है। गुडला ब्लॉक विजयनगर केचमेन्ट वर्ष 1980-81 के बाद खसरा सं० 219 के कटौती उपरान्त गुडला ब्लॉक में ख०सं० 714 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा कटौती 0.12 बिस्वा एवं ग्राम गामछ में ख०सं० 1238 रकबा 0.17 बिस्वा बना है वक्त केचमेन्ट प्रार्थी की जाति ग्राम गुडला में धाकड़ अंकित थी। केचमेन्ट पश्चात प्रार्थी की शेष भूमि ग्राम गामछ तहसील तालेडा में ख०सं० 1238 रकबा 0.17 बिस्वा पुनः आंवटन सूची में खातेदार दर्ज रिकार्ड की जाकर प्रार्थी की जाति ब्राहमण अंकित कर दी गई है, जिससे सिद्ध होता है कि प्रार्थी की जाति ब्राहमण के स्थान धाकड़ किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि ख०सं० 1238 रकबा 0.17 बिस्वा वाके ग्राम गामछ में दर्ज खातेदार की जाति ब्राहमण के स्थान पर जाति धाकड़ शुद्धी किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। जमाबन्दी में शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।



(कमल कुमार मीनने)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी
तालेडा